

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22.5.24

पत्रावली पेश हुई

वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली में प्रभावी पेशी हेतु वादी व अधिवक्ता को न्यायालय सभ्य में रुक-रुककर आवजे दी जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं।

अतः पत्रावली में वादी अधिवक्ता के लगातार अनुपस्थित रहने तथा कोई प्रभावी पेशी नहीं होने से उक्त पत्रावली अदम लाजमी व अदम पेशी में खारिज की जाती है।

पत्रावली दफ्तरी दफ्तर को

२२/५